भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1441

उत्तर देने की तारीख 13/02/2025

आत्मनिर्भरता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना

†1441. श्री भोजराज नागः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जनजातीय आबादी के बीच कृषि और डेयरी के माध्यम से आत्मनिर्भरता और आजीविका सृजन को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय अपनी दो एजेंसियों नामत: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से कृषि और डेयरी सहित जनजातीय आबादी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों की सहायता करते हुए जनजातीय आबादी के बीच आत्मनिर्भरता और आजीविका सृजन को बढ़ावा दे रहा है।

'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना के तहत, ट्राइफेड द्वारा राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके), जो जनजातीय एसएचजी के एक समूह हैं, की स्थापना के लिए 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो कृषि और डेयरी सहित लघु वन उपज (एमएफपी) एवं गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। ट्राइफेड अपने ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनजातीय उपजों के विपणन की सुविधा भी प्रदान करता है। अब तक (आज की तारीख तक), मूल्य संवर्धन गतिविधियों के लिए 3958 वीडीवीके स्वीकृत किए गए हैं और विपणन गतिविधियों के लिए 114 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट स्थापित किए गए हैं।

अन्य एजेंसी नामत: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम (सीपीएसई) है, जो पात्र अनुसूचित जनजातियों को कृषि और डेयरी सहित विभिन्न क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियां करने के लिए रियायती ऋण प्रदान करती है ताकि उनके बीच आत्मनिर्भरता और आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। पिछले पांच वर्षों के दौरान, एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत 6,23,605 जनजातीय लाभार्थियों को 1577.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

*****